खडमोर बचाओ ।

खडमोर का वंश संकट में है । इसकी संख्या 3000 से भी कम हैं ।

खडमोर बरसात में घास की भीड में पैदा होता है ।

घास के भीड महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आपके पशुओं के लिए चारा देते हैं ।

अफसोस है कि घास के भीड कम होते जा रहे हैं ।

खडमोर पक्षी के संरक्षण में मदद कीजिए ।

घास के भीडों के संरक्षण में आपकी उन्नति है ।

If you have any information, please write to:

THE FLORICAN WATCH
SÁLIM ALI CENTRE FOR ORNITHOLOGY & NATURAL HISTORY
Kalampalayam P.O., Coimbatore - 641 010

Produced with assistance from Steppe & Grassland Bird Specialist Group, IUCN

राजस्थान में खरमोर संरक्षण

भारत की आर्थिक व्यवस्था मुख्यत: कृषि व पशुपालन पर निर्भर रही है। इस आर्थिक व्यवस्था के आधारस्तभं थे जंगल, चरागाह, कृषि भूमि और जलक्षेत्र। इनके ही चारों ओर ग्राम जीवन का उद्‌भव व विकास हुआ था। शन: शन: औद्योगिकरणं, शहरीकरण व आबादी के साथ कृषि भूमि की बढ़ती मांग से सारी व्यवस्था चरमराने लगी। इस विषमता का सर्वाधिक दुष्प्रभाव जलक्षेत्रों, जगंलों और गोचरों पर हुआ एवं इनमें रहने वाले जीवों, पशु–पक्षियों और वनस्पतियों की विविधता में भारी कमी आई।

बस्टर्ड समूंह के पक्षी खुले पथरीले घास के मैदानों में पाये जाते हैं। गोडावण सूखे–गर्म क्षेत्रों में जिनमें रेगिस्तान भी शामिल हैं, खरमोर ऊँचीं घास के क्षेत्रों में तथा बंगाल खरमोर पूर्वी भारत में पाये जाते हैं। तिल्लोर या हौबारा एक अप्रवासी बस्टर्ड है जो कि शरद ऋतु में राजस्थान व सौराष्ट्र आदि क्षेत्र में देखे जा सकते है। पूर्वोक्त तीन भारतीय प्रजातियों की सख्यां में भारी कमी आई है और तीनों की लुप्तप्राय पक्षियों की श्रेणी में आते हैं।

खरमोर जिसे राजस्थान में फ्लूरिकिन या बीड़वान के नाम से भी जाना जाता है, मध्यप्रदेश के भील बहुल इलाकों में भटकूकड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पक्षी पश्चिमी मध्यप्रदेश, पूर्वी व मध्य राजस्थान तथा सौराष्ट्र में वर्षा ऋतु के दौरान प्रजनन हेतु आता है। इनके नैसर्गिक प्रजनन स्थलों जो कि बीड़, गोचर या चारागाह, बीड़ी या राखाल के नाम से जाने जाते हैं, धीरे–धीरे अन्य उपयोगों हेतु परिवर्तित किये जा चुके हैं। इस कारण से खरमोर के सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त होने की संभावना बलवती हो गई है। वैज्ञानिक व संरक्षणविद् इसको बचाने की विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पालतु मवेशियों की संख्या, भारत में सर्वाधिक है, चरागाह क्षेत्र की विशेष रूप से महत्वपूर्व है। यहाँ पर 18.17 लाख हेक्टेअर चारागाह भूमि लगभग 4.5 करोड़ पशुओं के लिये उपलब्ध हैं। इस हिसाब से मात्र 1 हेक्टेयर चारागाह पर 25 पशुओं का चराई दबाव विद्यमान है जो कि कतई पर्याप्त नहीं है। इनमें से भी यदि गोचर भूमि को अन्य उपयोगों में ले लिया जाये तो राज्य में भूसे की विकट समस्या औंर भी विकराल रूप ले लेगी।

इस प्रकार मनुष्य उसके मवेशियों व चरागाहों पर निर्भर पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिये आवश्यक है कि शीघ्र ही सरकार निजी चरागाहों के मालिक व स्वयंसेवी संस्थायें मिलकर गोचर भूमि को बचाने का प्रयास करें।

इस बात को मद्देनजर रखते हुये सन् 1994 में बड़ौदा में एक गोष्ठी को आयोजन सैकॉन के वैज्ञानिक डां. रविशंकरन ने किया था। इसमें तीनों राज्यों के प्रकृति प्रेमी, पक्षीविद् ओर वन विभाग के अफसर शामिल हुये थे। श्री डेनियल, डॉ. रहमानी, डॉ. विजयन आदि विशेषज्ञों व प्रतिभागियों की राय से एक राष्ट्रीय खरमोर सरंक्षण नीति का निर्धारण किया गया था। इसके अनुसार निम्न निर्णय लिये गये –

1. तीनों राज्यों की गोचर भूमि, बीड़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करना ।
2. खरमोर के नैसर्गिक प्रजनन स्थलों की प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त करना ।
3. जनसहयोग द्वारा इनके शिकार पर रोक व गोचर भूमि संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करना ।
4. प्रांतानुसार, खरमोर संरक्षण समितियों का गठन तथा उनके माध्यम में जिलेवार सुरक्षा समितियों का गठन ।
5. राजस्थान में खरमोर संरक्षण पर विशेष गोष्ठी का आयोजन ।

यह कार्यशाला उसी संगोष्ठी के निर्णयों का प्रतिफल है। इस कार्यशाला के प्रतिभागियों से आशा की जाती है कि वे खरमोर संरक्षण की बात जन–जन तक पहुँचाने में सहायता करेंगें।

खरमोर संरक्षण के मुद्दे व विचार बिन्दु

1. क्या चरागाह संरक्षण एवं प्रबंधन की वर्तमान नीति घास के मैदानों को बचाने हेतु समुचित है या इसमें परिवर्तन आवश्यक है। यदि हाँ, तो क्या सुधार जरुरी है और कैसे?

2. क्या आप सोचते हैं कि खरमोर की संख्या में कमी का कारण लगातार घटती सुरक्षित बीड़े या गोचर भूमि है?
   यदि हाँ,
   – तो सुरक्षित बीड़ों का क्षेत्र कैसे बढ़ाया जा सकता है?
   – असुरक्षित बीड़ों और नीजी बीड़ों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये जा सकते हैं?
   – क्या आपके क्षेत्र में नये घास के मैदान विकसित किये जा सकते हैं।

3. क्या स्थनीय जन सहयोग द्वारा गोचर भूमि संरक्षण किया जा सकता है। स्वंयसेवी संस्थायें इसमें क्या मदद कर सकती हैं?

4. चारे की बढ़ती हुई जरुरत और बीड़ों की सुरक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे किया जा सकता है?

5. जन जागरुकता अभियान के लिये क्या किया जाना चाहिये?

6. खरमोर सुरक्षा समितियों और कार्यक्रमों को क्या रुप दिया जाना चाहिये?